रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एम.)-128 REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय
CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT. OF INDIA
भारत सरकार

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 26, 1987/पौष 5, 1909
No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 26, 1987/PAUSA 5, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम, जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules including Orders, Bye-laws etc. of a general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1987

आदेश

का० आ० 954:—केन्द्रीय सरकार की राय है कि कतिपय औद्योगिक या अन्य स्थापनाओं, कम्पनियों, बैंकों और फर्मों को आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) के कतिपय उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी कम्पनी, फर्म, बैंक या औद्योगिक या अन्य स्थापन को (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् स्थापना कहा गया है) सम्पत्ति और कार्मिकों की सुरक्षा के लिए अपेक्षित अग्नयायुधों को, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के उपबन्धों के प्रवर्तन से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात्:—

(i) अनुज्ञापन प्राधिकारी स्थापना के आकार, प्रकृति और अवस्थान और अन्य ऐसे घटकों को, जिन्हें ऐसा अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत समझे; हिसाब में लेने के पश्चात् तथा स्थापना के विचारों पर विचार करने के पश्चात् ऐसे अग्नयायुधों की संख्या अवधारित करेगा जिसे ऐसे स्थापना द्वारा अर्जित या अधिकृत किया जा सकेगा;

(ii) ऐसे स्थापन की सुरक्षा के भारसाधक व्यक्ति के पक्ष में या जहां ऐसे कृत्यकारी नहीं है, वहां ऐसे स्थापन के प्रबन्ध के भारसाधक व्यक्ति के पक्ष में उसके पदनाम से ऐसे प्रत्येक अग्नयायुध के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी से अनुज्ञाप्ति प्राप्त की जाएगी;

(iii) ऐसे अवधारण और अनुज्ञप्तियों के जारी किए जाने पर प्रत्येक ऐसा स्थापन जिसके कब्जे में अग्नयायुध की संख्या अनुज्ञप्ति द्वारा स्वीकृत संख्या से अधिक है, तुरन्त अधिक अग्नयायुध को आयुध नियम, 1962 के नियम 46 के साथ पठित उक्त

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1987

सा. का. नि. 988—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन आकाशवाणी में कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (कम्प्यूटर आपरेटर) भर्ती नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
कंप्यूटर आपरेटर	*4 (1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	1200-30-1560 ब.रो.-40-2040 रुपए	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होगा

भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाएगा।
11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : (क) केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी / (i) जो सदृश पद धारण करते हैं; या (ii) जिन्होंने 950-1500 रुपए के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और

11	12
	(ख) जिनके पास डाटा एंट्री/शब्द/संसाधन/बहु संसाधन/डाटा संग्रहण डाटा फीडिंग के कम्प्यूटर कार्यक्रम बनाने में दो वर्ष का अनुभव है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

[सं. ए-12011/2/87-डी (ए)]
करमीरी लाल, अवर सचिव

New Delhi, the 7th December, 1987

G.S.R. 988.—In exercise of the powers conferred by the proviso to the article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Computer Operator in the All India Radio under the Ministry of Information and Broadcasting, namely :—

1. Short title and commencement .—(i) These rules may be called the All India Radio (Computer Operator) Recruitment Rues, 1987.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the posts, its classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in the columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to the person and the other party to the marriage and that there are other grounds fo so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex se vicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	9
Computer Operator	4*(1937)	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

*Subject to variation dependent on work load.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the care of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the Vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commissions is to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Not applicable	Not applicable	Transfer on deputation	Transfer on deputation : (a) Officers under the Central Government:— (i) holding analogous posts; or (ii) with eight years regular service in the posts in the pay scale of Rs. 950-1500 or equivalent; and (b) possessing two years experience in computer programming of data entry/word processing/multi procession/data collection/ data feeding. (Period of reputation icluing period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation/department of the Central Government shall not exceed 4 years).	Not applicable	Not applicable

[No. A- 2011/2/87-DS/AIR/B(A)]
KASHMIRI LAL, Under Secy.

महासागर विकास विभाग

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1987

सा. का. नि. 989—. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महासागर विकास विभाग में तकनीकी अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महासागर विकास विभाग (तकनीकी अधिकारी) भर्ती नियम 1987 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि:—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।